



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/109/13

Dt: 05-06-2013

Sh. Ajit Singh

S/o Sh. Devi Prasad Khushwaha
10/2, Juhi Safed Colony,
Kanpur-208014 (UP).

Sub: Information under RTI Act-2005

Ref: Your application dt: 25-04-13, received on dt.: 30-04-2013

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से प्राप्त मदवार सूचना निम्नलिखित है :-

- मद सं01 इनटाइटलमेण्ट मैट्रिक्स दिनांक 13.06.2011 की प्रमाणित प्रति संलग्न (8 पृष्ठ) है।
(संलग्नक-1)
- मद सं02 Public Information Brouchure February 2012 की प्रमाणित प्रति संलग्न (12 पृष्ठ) है। (संलग्नक-2)
- मद सं03 एवं 4 आप को अवगत कराया जाता है कि जिला आगरा एवं अलीगढ़ में किसानों की अधिग्रहीत भूमि रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत इनटाइटलमेण्ट मैट्रिक्स दिनांक 13.06.2011 के क्र0सं0 A1(iii) के अंतर्गत किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
(संलग्नक-1)
- मद सं05 आप ने जो सूचना कार्यालय से मांगी है उसके लिये एक कम्प्यूटर ऑपरेटर तीन दिन की अवधि के कार्य हेतु लगेगा जिसमें की 1500रु0 का व्यय आएगा। अतः आप पहले ~~उक्त~~ शुल्क (1500रु0) जमा करने के इच्छुक हैं तो कृपया इस कार्यालय में जमा कराएं। उसके उपरांत ही यह सूचना आप को उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- मद सं06 एवं 7 आप को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिकर का निर्धारण रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत इनटाइटलमेण्ट मैट्रिक्स दिनांक 13.06.2011 एवं रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया है। आप को यह अवगत कराया जाता है कि आप की भूमि का अधिग्रहण जिलाधिकारी की सूची 2006 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ही प्रतिकर का निर्धारण किया गया है, चूंकि आप के गाटे का गजट 20ए 10.06.2008 में हुआ था उस समय पर जिलाधिकारी की जो सूची उपलब्ध थी उसी के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया गया था।

संलग्नक: संलग्नक-1 एवं 2 (20 पृष्ठ)


(RajivBhatnagar)
DGM/PIO

Copy to : CPM/Kanpur

DESPATCH